-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 30.10.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **मिशन शक्ति अभियान के क्रम में पुलिस लाइन बांदा में अपर पुलिस अधीक्षक बांदा की अध्यक्षता में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का किया गया आयोजन। मिशन शक्ति केन्द्र के प्रभारियों एवं कर्मचारियों को तीनों नए कानूनों भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों के बारे में दी गई जानकारी।**

विवरण- महिला सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता की दिशा में चलाए जा रहे **मिशन शक्ति 5.0 अभियान** के अंतर्गत आज दिनांक 30.10.2025 को पुलिस लाइन बाँदा में अपर पुलिस अधीक्षक बांदा श्री शिवराज की अध्यक्षता में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में जनपद के सभी थानों में स्थापित मिशन शक्ति केन्द्रों के प्रभारी, महिला कर्मी, एंटी रोमियो स्क्वॉड सदस्य उपस्थित रहे। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य मिशन शक्ति टीमों को तीन नए आपराधिक कानूनों — **भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita - BNS 2023), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita - BNSS 2023)** तथा **भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Bharatiya Sakshya Adhiniyam - BSA 2023)** — के प्रमुख प्रावधानों की जानकारी देना तथा उन्हें व्यावहारिक रूप से लागू करने हेतु प्रशिक्षित करना था। प्रशिक्षण के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक श्री शिवराज तथा सहायक पुलिस अधीक्षक सुश्री मेविस टॉक ने बताया कि इन नए कानूनों को पारित कर सरकार ने देश की न्याय प्रणाली को अधिक जन-हितैषी, त्वरित और डिजिटल युग के अनुकूल बनाया है। इसमें महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ी धाराओं को और अधिक सशक्त किया गया है। सत्र के दौरान सभी को बताया गया कि **भारतीय न्याय संहिता** में महिलाओं और बालिकाओं के विरुद्ध अपराधों जैसे महिला उत्पीड़न, साइबर क्राइम, मानव तस्करी, बाल शोषण, और घरेलू हिंसा के मामलों में दंड का प्रावधान पहले की तुलना में और अधिक कठोर किया गया है। साथ ही **भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** में अपराधों की जांच, गिरफ्तारी, चार्जशीट दाखिल करने और न्यायिक प्रक्रिया को डिजिटल माध्यमों से जोड़ने की व्यवस्था की गई है, जिससे मामलों के निस्तारण में तेजी आएगी। अपर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि"मिशन शक्ति अभियान का उद्देश्य केवल महिला सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका मूल भाव महिलाओं और बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना और उन्हें न्याय प्राप्त करने के लिए आत्मनिर्भर बनाना है। पुलिस बल का प्रत्येक सदस्य इस दिशा में सेतु का कार्य करेगा।" उन्होंने कहा कि नए आपराधिक कानूनों को समझना प्रत्येक पुलिसकर्मी के लिए अत्यंत आवश्यक है। अपर पुलिस अधीक्षक महोदय ने निर्देश दिया कि प्रशिक्षण प्राप्त सभी महिला पुलिसकर्मी अपने-अपने थाना क्षेत्रों में मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत व्यापक *जनजागरूकता कार्यक्रम* आयोजित करें। इन कार्यक्रमों में विद्यालयों, महाविद्यालयों, स्वयं सहायता समूहों (SHG), ग्राम पंचायतों तथा नगर क्षेत्रों की महिलाओं और बालिकाओं को नए कानूनों में उनके अधिकारों, सुरक्षा उपायों और त्वरित शिकायत निवारण प्रणाली के बारे में जानकारी दी जाए।